फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री राजेन्द्र **विपक्षी :– श्री अर्जुनलाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 48/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.05.2023	

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प बांसलिया में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी व विपक्षी सं. 2, 5, 6 स्वयं उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 3, 4, 7 से 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त, अनुपस्थित हैं। विपक्षी सं. 11 की ओर से तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। शा.फा. रहे। विपक्षी सं. 2, 5, 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विपक्षी सं. 2, 5, 6 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। विपक्षी सं. 2, 5, 6 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विपक्षी सं. 1, 3, 4, 7 से 10 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया, इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 444, 534/371 किता 2 रकबा 1.9425 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:06:38 IST
Reason: SelfAttested